2012:CGHC:9906

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

<u>दांडिक अपील क्रमांक 542/1997</u>

<u>अपीलार्थी</u> सीताराम

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 1.8.2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

31.7.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 542/1997

अपीलार्थी सीताराम

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

श्री अरुण कोचर अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री आशीष शुक्ला शासकीय अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/राज्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(1.8.2012)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 174/1996 में पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 3.3.1997 के विरुद्ध दायर की गई है जिसके अधीन अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 376 (1) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सिद्धदोष पाया गया और उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास और 2000/- रुपये के अर्थदंड से, तथा अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि दिनांक 5.10.1995 को पीड़िता- एक नाबालिग बालिका तत्समय उम्र लगभग 12 वर्ष, के द्वारा प्रथम सूचना पत्र (प्र.पी-11) दर्ज किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया कि दिनांक 3.9.1995 को जब वह अपने घर के पास खेल रही थी तब अभियुक्त/अपीलार्थी वहाँ आया और उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ अंगार मोती नामक जंगल जाना चाहती है और जब पीड़िता ने उससे पूछा कि और कौन-कौन वहाँ उसके साथ जा रहा है, तब अपीलार्थी ने बताया कि उसकी बेटी उसके साथ जा रही है। यह

सुनकर, पीड़िता अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ उसके साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर चली गई परंतु एक मंदिर के पास पहुंचकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने पीड़िता और अपनी बेटी को साइकिल से उतार दिया और साइकिल को वही रखकर पीड़िता को जंगल के अंदर ले गया जहां उसने अपना पैंट निकाल दिया और उसे जमीन में बिछा दिया और पीड़िता को उसपर लेटने को कहा, और पीड़िता के मना करने पर उसने उसके मुह को बंद कर दिया और उसको जमीन पर बिछे अपने पैंट पर लिटा दिया और पीड़िता के तथा अपने चड्डी को उतार दिया और हल्ला नहीं करने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। यह अभिकथन किया गया है कि मार के डर से पीड़िता चुप रही और दर्द होने के बावजूद हल्ला गुल्ला नहीं किया। आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि अपराध कारित करने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी ने पीड़िता को 20 रुपये दिए और उसे घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी, और उसको तथा अपनी बेटी को अपनी साइकिल में वापस ले आया और रास्ते में उसे उतारकर चला गया। डर के कारण पीड़िता ने उसी दिन घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उसके बाद, दिनांक 25.9.1995 को पीड़िता का स्वास्थ खराब हो गया तब पीड़िता के पिता के कहने पर अभियुक्त/अपीलार्थी उसे इलाज के लिए धमतरी के अस्पताल लेकर गया और वापस लौटते समय रास्ते में दुबारा पीड़िता के साथ उसी तरह जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। इसके पश्चात, उसने पीड़िता को एक सोने का नथ और 15/- रुपये दिया और घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को कहा। 2-3 दिन बाद नथ को देखकर पीड़िता के पिता ने पीड़िता को डांटते हुए नथ के बारे में पूछा तो पीडिता ने बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे पहनने के लिए दिया था, पिता के डांटने की वजह से पीडिता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को नथ लौटा दिया। पीडिता ने यह अभिकथन किया कि जब उसके चाचा सदाराम उसके घर आए थे, तब उसने उनको दो बार घटना घटित होने के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद चाचा ने पीडिता के पिता को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीडिता अपने चाचा के साथ पुलिस थाना गई और प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया। उक्त प्रथम सूचना पत्र के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया, पीडिता का डॉ . (श्रीमती) एस. सिंघल (आ.सा.-2) के द्वारा दिनांक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5.10.1995 को चिकित्सीय परीक्षण कर प्र.पी-3 तैयार किया गया और विवेचना पूर्ण होने के बाद उक्त अपराध के संबंध में दिनांक 28.11.1995 को अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अपने पक्षसमर्थन में अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों का परीक्षण करवाया। अभियुक्त/अपीलार्थी का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन भी दर्ज किया गया जिसमें उसने अपराध को इनकार करते हुए अपने निर्दोष होने तथा प्रकरण में झूठा फ़साने का अभिवाक किया। इसके अलावा, जिनेन्द्र कुमार (ब.सा.-1), अरुण कुमार (ब.सा.-2) एवं बैसाखू राम साहू (ब.सा.-3) का भी बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में परीक्षण कराया गया।

4. दोनों पक्षकारों की सुनवाई उपरांत, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाते हुए इस निर्णय के कंडिका 1 में उल्लेखित अनुसार उसे दंडादिष्ट किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी और पीड़िता के पिता के बीच पूर्व से शत्रुता है जिसके कारण अपीलार्थी को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना पत्र लगभग एक महीने के अत्यधिक देरी के बाद दर्ज किया गया है जिसका अभियोजन द्वारा कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया, और इसके अतिरिक्त, पीड़िता का चिकित्सीय रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के समर्थन में नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी बेटी की उपस्थिति में पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया अति अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर यह वास्तव में बलात्कार का मामला होता, तो सामान्यतः पीडिता अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताती, परंतु वर्तमान प्रकरण में उनका परीक्षण नहीं करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। उन्होंने तर्क दिया कि पीडिता की आयु के संबंध में कोई वैध ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना दिनांक को वह नाबालिग थी।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि पीडिता का आचरण स्वाभाविक दर्शित होता है और यह कि एक 12 वर्ष की नाबालिग बालिका को अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा जंगल घुमाने के बहाने उसे दूर

लेकर जबरदस्ती उसका बलात्कार करने और किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी देने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसपर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश उचित एवं न्यायसंगत हैं। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, प्रथम सूचना पत्र को दर्ज करने में हुई देरी का अभियोजन द्वारा संतोषप्रद रूप से स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है तथा केवल इसी आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त होने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यद्यपि पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 5.10.1995 को अर्थात पहली घटना के एक माह और दूसरी घटना के 10 दिन पश्चात हुआ, पीडिता का परीक्षण करने वाली महिला चिकित्सक ने यह राय दिया है कि यह मुमकिन है कि पीडिता के साथ यौन संबंध बनाया गया है। राज्य के अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि पीडिता की आयु को भी अभियोजन द्वारा उचित रूप से पीडिता के साक्ष्य, महिला चिकित्सक (आ.सा.-2), प्राथमिक विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्र.पी.-6 जिसमें उसका जनम तिथि दिनांक 5.10.1983 उल्लेखित है, के माध्यम से सम्यक रूप से प्रमाणित किया है, जो यदि माना जाता है तो पीडिता की आयु घटना के समय लगभग 12 वर्ष होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उभय पक्षकारों को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

8. पीडिता (आ.सा.-6) ने अपने बयान में कथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को जानती थी तथा उसने गंगरेल विद्यालय से पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण किया है। घटना दिनांक को जब वह अपने घर के पास खेल रही थी तब अभियुक्त/अपीलार्थी वहाँ आया और उससे पूछा कि क्या वह अंगार मोती के नाम से जाना जाने वाला जंगल जाना चाहती है और यह पता चलने के बाद कि अभियुक्त/अपीलार्थी की बेटी भी साथ में जाएगी, पीडिता ने भी जाने में रुचि दिखाई। यह कथन किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी बेटी और पीडिता को अपने साइकिल पर उक्त जंगल ले गया और फिर अपने साइकिल को रास्ते में रखकर वहीं अपनी बेटी को छोड़कर पीडिता को जंगल के अंदर ले गया, अपना पैंट उतारा, पीडिता को जमीन में लिटा दिया, उसका और स्वयं का चड्डी उतार दिया और फिर अपना गुप्तांग को पीडिता के

गुप्तांग में डालकर उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाया। अपराध कारित करने के बाद, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा 20/- रुपये देने और घटना के बारे में किसी और को बताने पर जान से मरने की धमकी देने का कथन किया गया है। इसके बाद वह पीडिता और अपनी बेटी को साइकिल पर वापिस लेकर आ गया और पीडिता को रास्ते में उतारकर आगे चला गया। पीडिता के अनुसार उसने अन्य किसी व्यक्ति को घटना की जानकारी नहीं दी। 3-4 दिन के बाद पीडिता का स्वास्थ्य खराब होने पर अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा इलाज के लिए उसे धमतरी लेजाया गया और इलाज के बाद उसने पीडिता को सोना का नथ दिया। धमतरी से लौटते समय, रास्ते में अभियुक्त/अपीलार्थी ने दुबारा पहले की तरह पीडिता के साथ जबरदस्ती से यौन संबंध बनाए और उसके बाद उसने पीडिता को 15/- रुपये दिए। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि नथ को देखकर पीडिता के पिता ने उसे डाटा और उससे पूछा कि उसको वह नथ किसने दिया तब पीडिता ने अपने पिता को बताया कि वह नथ अभियुक्त/अपीलार्थी ने दिया है। हालांकि, दिनांक 26.9.1996 को पीडिता ने उक्त नथ को अभियुक्त/अपीलार्थी को लौटा दिया लेकिन घटना के बारे में अपने पिता को जानकारी नहीं दी। इस साक्षी के अनुसार जब पीडिता के चाचा ने उससे नथ के बारे में पूछा तो पीडिता ने उनको बताया कि नथ अभियुक्त/अपीलार्थी ने दिया था। चाचा द्वारा और पूछने पर, पीडिता ने उनको घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जिसके बाद पीडिता अपने चाचा के साथ पुलिस थाना जाकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज की। अपने प्रति-परीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिता के विरुद्ध शराब बनाने के लिए न्यायालय में बहुत सारे प्रकरण लंबित है और चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थी का भाई एक संवाददाता है इसलिए पीडिता के पिता और चाचा को यह संदेह था कि समाचार पत्र के माध्यम से वह पीडिता के पिता के शराब के व्यवसाय के लिए समस्या पैदा कर रहा है और इसलिए दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कुभावना थी। इस साक्षी से पुछे गए विभिन्न सुझाव को उसने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है, और वह अपने मुख्य-परीक्षण के कथन पर दृढ़ रूप से बनी रही। यद्यपि, इस बयान में कुछ विरोधाभास है, लेकिन वे मामूली होने के कारण महत्वहीन हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षी डॉ. (श्रीमती) एस. सिंघल (आ.सा.-2) ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.-3) तैयार किया है, जिसमें उल्लेख है कि पीड़िता की आयु लगभग 12 वर्ष प्रतीत होती है, उसके द्वितीयक यौन लक्षण विकसित होने लगे थे, कोई बाहरी चोट नहीं पाए गए, बगल और गुप्तांग के बाल मुलायम और कम थे, स्तन विकसित हो रहे थे, योनि में एक उंगली मुश्किल से प्रवेश कर रही थी और कौमार्य की झिल्ली सख्त थी। इस साक्षी ने आगे यह राय दी है कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी नहीं थी और उम्र का निर्धारण करने के लिए उसे विकिकरण चिकित्सा विज्ञानी के पास भेजा गया था। प्रति-परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता के साथ उसके चिकित्सीय परीक्षण से ठीक पहले यौन संबंध बनाया गया था, लेकिन उसके साथ संभोग किया गया था। उसने आगे कथन किया है कि जब तक कोई कठोर वस्तु योनि के अंदर न जाए, तब तक खेल खेलने या साइकिल चलाने मात्र से योनि नहीं फटती। डॉ. ए. कादिर (आ.सा.-1) वह साक्षी है जिसने अभियुक्त/अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण किया है और अपना रिपोर्ट (प्र.पी.-1) तैयार किया जिसमें कहा गया कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम है। सी. आर. साहू (आ.सा.-3) विद्यालय में शिक्षक के रूप में पदस्थ है जिसने पीडिता के दाखिल खारिज प्र.पी.-5, स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्र.पी.-6, अंकसूची प्र.पी.-7 तथा जन्म प्रमाणपत्र प्र.पी.-8 को प्रमाणित किया है जिसमें पीडिता की जन्म तिथि दिनांक 5.10.1983 उल्लेखित है। सदाराम (आ.सा.–4)- पीडिता के चाचा ने कथन किया है कि पीडिता के पिता की फौत हो चुकी है और माता शारीरिक रूप से विकलांग है तथा वास्तव में उसी ने पीडिता की देख-रेख की है। इस साक्षी के अनुसार, घटना के समय पीडिता कक्षा छटवी की पढ़ाई कर रही थी। रहेशराम निषाद (आ.सा.-5) प्र.पी.-9 के अनुसार जब्त नथ का जब्ती गवाह है। मोहन मयधार (आ.सा.-7), गायत्री बाई (आ.सा.-8) तथा चैतीबाई (आ.सा.-9) मात्र अनुश्रुति साक्षी हैं। भागीरथी टंडन (आ.सा.-10) तथा ज्ञानदास (आ.सा.-11)- प्र.पी.-12, प्र.पी.-14 के अनुसार जब्त कुछ वस्तुओं के जब्ती गवाह हैं जिन्होंने कुछ विशेष कथन नहीं किया है। बी एस. राजपूत (आ.सा.-12) विवेचना अधिकारी है जिसने सम्यक रूप से अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है। जिनेन्द्र कुमार (ब.सा.-1) ने कथन किया है कि दिनांक 25.9.1995

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी कार्यशाला में श्रमिक के रूप में कार्यरत था। इसने हाजिरी रजिस्टर प्र.डी.-6 को प्रमाणित भी किया है और स्वीकार किया है कि रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद श्रमिक बाहर जा सकता है और उक्त बात की पुष्टि करने का कोई साधन नहीं है। अरुण कुमार (ब.सा.-2)- सोनार ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 7.4.1995 को सोने की नथ खरीदी थी, लेकिन उसके बाद उसने उसकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया। बैसाखुराम साहू (ब.सा.-3) ने कथन किया है कि दिनांक 3.9.1995 को गांव में एक बैठक हुई थी जहां अभियुक्त/अपीलार्थी ने दुर्गा देवी की मूर्ति के लिए 5000 रुपये देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, विशेष रूप से पीड़िता के बयान की सूक्ष्मता से परीक्षण करने पर यह दर्शित होता है कि घटना दिनांक को जब वह अपने घर के पास खेल रही थी तब अभियुक्त/अपीलार्थी वहां आया और पीडिता से अंगार मोती नामक जंगल जाने की इच्छा के बारे में पूछा और जब पीडिता को पता चला कि अभियुक्त की बेटी भी उसके साथ जा रही है, तो उसने भी जाने की इच्छा व्यक्त की। अभियुक्त/अपीलार्थी पीड़िता और अपनी बेटी को साइकिल पर उक्त जंगल में ले गया और रास्ते में साइकिल रखकर अपनी बेटी को वहीं छोड़कर पीड़िता को जंगल के अंदर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए, और अपराध करने के बाद उसने पीड़िता को 20/- रुपये दिए और घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद फिर 3-4 दिन बाद, पीडिता के पिता के निर्देश पर, अभियुक्त/अपीलार्थी पीड़िता को इलाज के लिए धमतरी ले गया और उसे सोने की नथ दी। धमतरी से लौटते समय, रास्ते में उसने फिर से उसी तरह से उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और अपराध करने के बाद उसने उसे 15/- रुपये दिए। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पीडिता की आयु और आर्थिक तंगी का फायदा उठाते हुए उसे कुछ पैसे और एक नथ देकर उसका दो बार बलात्कार किया। पीड़िता के बयान की पुष्टि चिकित्सक (आ.सा.-2) ने विधिवत की है, जिसने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट दिया है जिसमें उल्लेखित है कि वह लगभग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12 वर्ष की प्रतीत होती है, उसके द्वितीयक यौन लक्षण विकसित होने लगे हैं, कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई, बगल और गुप्तांग के बाल मुलायम और कम थे, स्तन विकसित हो रहे थे, योनि में एक उंगली मुश्किल से प्रवेश कर रही थी और कौमार्य सख्त था। इस साक्षी ने आगे यह राय दी है कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी नहीं थी और आयु का निर्धारण करने के लिए उसे विकिरण चिकित्सा विज्ञानी के पास भेजा गया था। प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने में देरी के संबंध में, यह एक सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि यदि पीड़िता का बयान विश्वसनीय है, तो बलात्कार के मामलों में देरी हमेशा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा **एआईआर 2004 एससी 4404** में प्रकाशित **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्रीकांत शेकर्त** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि:

> "18. असामान्य परिस्थितियों ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने में हुई देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट कर दिया। किसी भी स्थिति में, बलात्कार के आरोप के मामले में मात्र देरी अभियुक्त के लिए शमनकारी परिस्थिति नहीं है। प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने में देरी का आधार अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के अनुष्ठानिक सूत्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह केवल न्यायालय को सजग करता है जिससे न्यायालय इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण की खोज कर यदि हो तो उसपर विचार करे। जब स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि यह संतोषजनक है या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और ऐसी देरी के कारण अभियोजन पक्ष के बयान में बढ़ा-चढ़ाकर या अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होने की संभावना है, तो यह एक सुसंगत कारक है। इसके विपरीत, देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठे आरोप या अभियोजन पक्ष के मामले की भेद्यता की अभिवाक् को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता उस विपत्ति से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पूरी तरह अनजान थी जो उस पर आ पड़ी थी। ऐसे में, प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने में मात्र देरी से अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो जाता। इन पहलुओं को तुलसीदास कानोल्कर बनाम गोवा राज्य (2003 (8) एससीसी 590) में उजागर किया गया था।"

वर्तमान प्रकरण में, अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थी ने लगभग 12 वर्ष की एक नाबालिग बालिका को पैसे का लालच देकर यौन उत्पीड़न किया। इसके अतिरिक्त, चूंकि बचाव पक्ष द्वारा झूठे आरोप में फंसाये जाने के अभिवाक के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पेश कर प्रमाणित नहीं किया जा सका है, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे इसी प्रकार खारिज किया जाता है। आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी जमानत पर है। उसकी बंध पत्र उन्मोचित किया जाता है। उसे तत्काल जेल भेजा जाए ताकि वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश की शेष अवधि पूरी कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Smriti Ekka